सिंह.

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स सत्यम डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रो0—श्री योगेंद्र कुमार, पति—स्व0 बिंदेश्वरी सिंह, पता—114/35—ए, ब्रहास्थान रोड, शेखपुरा बागीचा, बी.बी. कॉलेज, पटना द्वारा भोजपुर सोन—39 बालू घाट मौजा—अंधारी महाजी और इमादपुर, ब्लॉक—सहार, जिला—भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 26.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे भोजपुर जिला के सोन—39, मौजा—अंधारी महाजी और इमादपुर, ब्लॉक—सहार, जिला—भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0—एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2061/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री मनोज कुमार झा, अपर समाहर्त्ता , भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 26.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे सोन—39, मौजा—अंधारी महाजी और इमादपुर, ब्लॉक—सहार, जिला—भोजपुर में लोक—सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक—1)

इस लोक—सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 14.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक—सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक—सुनवाई में उपस्थित जन—समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0—एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक—सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल—कण की रोक—थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब

वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं **खनन पट्टा क्षेत्र में** वृक्षारोपण (250 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान **पर्यावरण, वन एवं** जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य निम्नवतः है:–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री टिंकु सिंह, पिता–स्व0 सुदेश्वर सिंह, ग्राम–अंधारी, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
2.	श्री प्रमोद सिंह, पिता–श्री धर्मदेव सिंह, ग्राम–अंधारी, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के तहत् जो पेड़ लगाये जायेंगे कहाँ लगाऐंगे, उनका रख–रखाव कौन करेंगे। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 250 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ो की सुरझा एवं रख–रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस–पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। अपर समाहर्त्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि कम–से–कम 500 पेड़ लगाए जाय। इसकी सुरक्षा एवं रख–रखाव हेतु स्थानीय ग्रामीण को बहाली किया जाय। फलदार एवं बड़े पेड़ को प्राथमिकता दी जाय। पेड़ लगाने से भू–जल स्तर नीचे नहीं जाता है।
3.	श्री विकास कुमार, पिता–श्री दिनेश सिंह, ग्राम–इमादपुर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि ट्रक चलेगा तो धूल उड़ेगा, इसके लिए क्या उपाय किये जायेंगे। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को

		सुनिश्चित किया जायेगा। सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय–समय पर किया जायेगा।
4.	श्री सुजीत कुमार, पिता–श्री दिनेश पाण्डेय, अंधारी, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2–2 बार सुबह एवं शाम को किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने कम–से–कम 500 पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन की गहराई 03 मीटर से ज्यादा नहीं करेंगे। ज्यादा करने पर तालाब बन जाता है एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस पर रोक लगना चाहिए। गाँव वाले भी इसकी निगरानी रखे। अगर कहीं पर भी अधिक खनन से तालाब बनता है तो जिला प्रशासन को सूचित करें। जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

~~जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।~~ तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर समाहर्त्ता
भोजपुर

उपस्थिति सूची

मेसर्स सत्यम डिस्ट्रिब्यूटर, प्रो०-श्री योगेन्द्र कुमार द्वारा सोन 39 बालू घाट, मोजा-अंधारी महाजी और इमादपुर, अंचल-सहार, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	[illegible]	ADM, Bhojpur	[illegible] 26/05/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता, संयोजक पदाधिकारी	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना	[illegible] 26.5.23
3.	आनन्द प्रकाश	[illegible] विकास पदाधिकारी भोजपुर	[illegible] 26/05/23
4.	नीतीश कुमार पर्यावरणीय सलाहकार	P&M Solution, Raja Bazar, Patna	Nitish Kr
5.	रवि कुमार	अंधारी	Ravi
6.	Ranjeet Kumar	Andhari	[illegible]
7.	[illegible]	Andhari	[illegible]
8.	Vikash Yadav	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible] Singh	Harpur	[illegible]
10.	[illegible]	अंधारी	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	Saroj Kumar	Andhari	Saroj

13.	विसुनधतसिंह	अन्धारी	विसुनधत सिंह
14.	Puppu kumar	imadpur	Pappu kumar
15.	Birendra kumar	Imadpur.	Birendra kumar
16.	रविन्द्र सिंह	अंधारी	रविन्द्र सिंह
17.	जितेन्द्र चौधरी	अन्धारी	जितेन्द्र चौधरी
18.	Binod kumar	Imadpur	Binod kumar
19.	Amit kumar	Imadpur	Amit kumar
20.	संजय कुमार	इमादपुर	Sanjay kumar
21.	राहुल कुमार	अंधारी	राहुल कुमार
22.	महेन्द्र कुमार	अंधारी	महेन्द्र कुमार
23.	मनोज सिंह	अंधारी	[signature]
24.	विजमा सिंह	~~[illegible]~~ अंधारी	विजमा सिंह
25.	अनिल कुमार	अंधारी	अनिल कुमार
26.	बैद्यनाथ सिंह	अंधारी	बैद्यनाथ सिंह
27.	Ramlal	ANDHARI	[signature]

28.	Rohit	अंधारी	[illegible]
29.	[illegible] कुमार	अंधारी	[illegible] कुमार
30.	Vikash Singh	अंधारी	[illegible]
31.	Mannu Kumar	Andhari	Mannu Kumar
32.	[illegible]	अंधारी	[illegible]
33.	[illegible] कुमार सिंह	अन्धारी	[illegible]
34.	[illegible] Kumar	अंधारी	[illegible]
35.	Pawansingh	अंधारी	Pawansingh
36.	Tinku Singh	Andhari	[illegible]
37.	Pramod Singh	Andhari	[illegible]
38.	मोहन सिंह	अंधारी	[illegible]
39.	आदित्य कुमार	अंधारी	आदित्य कु
40.	इन्द्रमणि कुमार	अंधारी	इन्द्रमणि कुमार
41.	Rajnishkusingh	अंधारी	Rajnishkusingh
42.	Manish Singh	Andhari	[illegible]

43.	अखिलेश	अंधारी	अखिलेश
44.	विनोद पाल	अ-धारी	विनोद पाल
45.	संजय	अंधारी	संजय
46.	Deepak	Andhari	Deepak
47.	Rajesh	Andhari	Rajesh
48.	फूलवासी कुमार	अंधारी	फूलवासी
49.	अमरदेपाल	अंधारी	अमरदेपाल
50.	Lavkush	andhari	Lavkush
51.	राजेन्द्र राम	आनन्द	राजेन्द्र राम
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			